International Journal of Research
Special Issue for Hindi Papers
Available at https://edupediapublications.org/journals
e-ISSN: 2348-6848
p-ISSN: 2348-795X
Volume 03 Issue 20
December 2016

भारत में घरेलू हिंसा अधिनियम –2005

Sumitra
Assistant Professor
Department of Sociology
C.R. College of Law, Rohtak (HR.)

शोध आलेख सार– वस्तुतः भारत में महिलाओं के विरूद्ध हिंसा एक आम बात है। इसमें बलात्कार, दहेज हत्या, लज्जा भंग, यौन–उत्पीड़न, घरेलू हिंसा एवं क्रूरता शामिल है। भारत में पारिवारिक एवं घरेलू हिंसा की शिकार महिलाओं के संवैधानिक व कानूनी अधिकारों की सुरक्षा के लिए घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 बनाया गया जो 26 अक्तूबर 2006 से प्रभावी हुआ। इस अधिनियम के तहत घरेलू हिंसा की शिकार महिला स्वयं या किसी सेवा–प्रदाता के माध्यम से अपनी शिकायत दर्ज करवा सकती हैं। चूंकि महिलाओं के विरूद्ध होने वाली हिसा की प्रकृति भी बदल रही है, अतः समय–समय पर घरेलू हिंसा अधिनियम को प्रासांगिक बनाने के विचार भी उभरते रहे हैं। युवतियो पर बढ़ रहे तेजाबी हमले के कारण सरकार को नई दिशा निर्देश तक जारी करने पड़े हैं। प्रस्तुत शोध पत्र में घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 का अध्ययन किया गया है।

मूलशब्द– घरेलू हिंसा, दहेज हत्या, क्रूरता, पारिवारिक हिंसा, कार्य स्थल पर यौन–उत्पीड़न, कानूनी संरक्षण, संवैधानिक सुरक्षा।

भूमिका– चूंकि हम 21वीं सदी में रह रहे हैं फिर भी महिलाओं के विरूद्ध होने वाली हिंसा आम बात है जो एक सभ्य समाज के लिए चिंता का विषय है। यह बड़ी विचलित करने वाली बात है कि मानव सभ्यता के विकास के साथ–साथ यह समस्या भी वीभत्स रूप धारण करती जा रही है। ग्रामीण क्षेत्र में महिलाएं युगों से परम्पराओं व रीति–रिवाजों के नाम से पिसती रही हैं। इसके पीछे महिलाओं का परिवार के प्रति वफादार होना, हिंसा के प्रति चुप्पी साधना, कानूनी निरक्षरता व जागरूकता का अभाव

e-ISSN: 2348-6848
p-ISSN: 2348-795X
Volume 03 Issue 20
December 2016

प्रमुख कारण रहे हैं। यद्यपि शहरी क्षेत्र में तो स्थिति बदल रही है और शिक्षित महिलाएं अपने विरूद्ध अपने प्रति किसी भी प्रकार की पारिवारिक हिंसा को स्वीकार नहीं करती। वर्ष 2005 में निर्मित घरेलू हिंसा अधिनियम उनको एक सुरक्षा कवच प्रदान करता है।

घरेलू हिंसा का अर्थ– घरेलू हिंसा में पति द्वारा पत्नी को यातनाएं देना तथा परिवार के अन्य सदस्यों द्वारा उसके प्रति हिंसात्मक कार्य शामिल है। पत्नी को पीटना, गाली–गलौच करना, उसे शारीरिक या मानसिक यातना देना, घरेलू हिंसा कहलाती है।[1] कई बार पति द्वारा पत्नी के साथ की गई हिंसा को विभिन्न अधारों पर उचित ठहराने के प्रयास किये जाते हैं। रूढिवादी सोच रखने वाले परिवारों में तो ऐसे मामले तभी उजागर होते हैं जब घरेलू हिंसा गंभीर रूप धारण कर लेती है।

घरेलू हिंसा पितृसत्तात्मक परिवार की अवधारणा है जो स्त्री–पुरूष में असमानता को मान्यता देती हैं। इसके अनुसार पुरूष स्त्री से श्रेष्ठ है और पत्नी होने के नाते उसके साथ मनमाना व्यवहार करना उसका जन्मसिद्ध अधिकार है। अतः लैंगिक असमानता के पीछे भी यही विचार है जो पुरूष प्रधान समाज को तो आगे रखते हैं और महिलाओं के साथ पशुतुल्य व्यवहार करते हैं। ऐसे वातावरण में महिलाएं पुरूषों की इच्छापूर्ति का साधन बनकर रह जाती हैं और उन्हें पुरूष समाज की हिंसक गतिविधियों का बार–बार सामना करना पड़ता है।

घरेलू हिंसा के कारण– घरेलू हिंसा के पीछे कई कारण हैं। इसमें पितृसत्तात्मकता का सामाजिक गुण इसे प्रमुख रूप से जन्म देता है। इसके निम्न कारण हो सकते हैं:–

- महिलाओं के प्रति शत्रुता की भावना रखना।
- पति–पत्नी का एक दूसरे पर बेवजह शक करना।

[1] वुमेन्स लिंक, वॉल्यूम 20 (2), अप्रैल–जून 2014, पृ0 11.

e-ISSN: 2348-6848
p-ISSN: 2348-795X
Volume 03 Issue 20
December 2016

- स्त्री–पुरूष में यौन–सम्बन्धों में असहजता होना।
- पुरूष समाज की विकृत मानसिकता।
- परिवार की महिला के प्रति नकारात्मक सोच।
- लैंगिक असमानता का विचार।
- परिस्थिति का फायदा उठाने सम्बन्धी लालसा।
- विवाहेत्तर सम्बन्ध।
- पति–पत्नी द्वारा एक दूसरी की बात का सम्मान न करना।
- पीड़ित द्वारा बार–बार अपराध के लिए भड़काऊ वातावरण पैदा करना।

घरेलू हिंसा एवं पारिवारिक वातावरण– कई शोध अध्ययनों से यह बात स्पष्ट हुई है कि जैसा पारिवारिक वातावरण होता है, वैसे ही बच्चे बड़े होकर व्यवहार करते हैं। किसी बच्चे का बड़ा होकर अधिक शक्की, वासनामय, विवेकहीन, व्याभाचारी, अशांत, ईर्ष्यालु आदि बनने का प्रमुख कारण उसे विरासत में मिलने वाला पारिवारिक वातावरण है। बच्चा एक कोरे कागज की तरह होता है, जो उस पर लिखा जायेगा वह भविष्य का इतिहास कहलायेगा। इसलिए घरेलू हिंसा के पीछे पारिवारिक कारणों की पहचान करके उसका निदान तलाश करना चाहिए। कुछ पत्नी को पीटने वाले मामलों में उनके बचपन, किशोरावस्था व व्यस्कता के प्रारम्भिक वर्षों के अनुभव ये बताते हैं कि उन्होंने सभी भावनात्मक रूप से दुखद संकेतों के कारण हिंसात्मक व्यवहार को ग्रहण किया है। जब बच्चे माता–पिता को एक–दूसरे पर चिल्लाते हुए सुनते हैं और स्त्री की पिटाई होते हुए देखते हैं तो वे भी बड़े होकर ऐसा ही आचरण करते हैं। सत्य तो यह है कि एक

e-ISSN: 2348-6848
p-ISSN: 2348-795X
Volume 03 Issue 20
December 2016

हिसात्मक घरेलू वातावरण में पलने के कारण व्यक्तियों का व्यवहार अनिवार्य रूप से हिंसात्मक हो जाता है।[2]

भारत में घरेलू हिंसा का स्तर– कई सरकारी तथा गैर–सरकारी महिला संगठनों ने घरेलू हिंसा के बारे में चौंकाने वाले तथ्य पेश किये हैं। भारत के कई क्षेत्रों में अंधविश्वासों के कारण महिलाओं को परिवार में हिंसा के दौर से गुजरना पड़ता है। कई बार तो उसे डायन बता कर मार दिया जाता है। मध्यप्रदेश के आदिवासी इलाकों में इस प्रकार की घटनाएं होती रहती हैं। महिला को डायन बता कर मारने के बाद गांव के लोग उसकी मौत का जश्न मनाते हैं। इस कार्य में महिला के परिवार वाले भी शामिल होते हैं। इसके अलावा कई क्षेत्रों में कन्या को पैदा होते ही मार डालने की प्रथा आज भी विद्यमान है।[3]

महिलाओं के विरूद्ध होने वाली हिंसा के आंकड़े दर्शाते हैं कि 1987 से 1991 तक के समय में घरेलू हिंसा के अपराधों में 37.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इसमें दहेज के मामलों में 169.7 प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई जो एक चिंता का विषय है। एक अनुमान के अनुसार प्रत्येक 33 मिनट में एक महिला पर भारत में अवश्य अत्याचार हो जाता है। महिला अपराध की दर मध्यप्रदेश, उतरप्रदेश, महाराष्ट्र, आन्ध्रप्रदेश और राजस्थान में सर्वाधिक है। 2012 के बाद तो घरेलू हिंसा के मामलों में अप्रत्याशित बढोतरी हुई है। घरेलू हिंसा की स्थिति पर प्रकाश डालते हुए पी.शोभा ने लिखा है – भारत में पत्नी के साथ पति हिंसा इसलिए करता है कि वह उसके प्रति वफादार नहीं है। इसका आधार शक होता है। हरियाणा में केवल 10 प्रतिशत घरेलू हिंसा के मामलों में शक प्रमुख कारण होता है। नागालैंड तथा मणिपुर में इसका अनुपात क्रमशः 80 व 77 है। कई बार जब पत्नी सास–ससुर के प्रति असम्मानीय व्यवहार करती है तो भी घरेलू हिंसा का जन्म

[2] महेन्द्र कुमार मिश्रा, भारत का सामाजिक इतिहास, कल्पना प्रकाशन, दिल्ली, 2014, पृ0 379.
[3] वंदना सक्सेना, महिलाओं का संसार और अधिकार, मनीषा प्रकाशन, दिल्ली, 2004, पृ0 24.

होता है। कई बार अच्छा भोजन पकाने में पत्नी का असमर्थ होना भी इसका कारण बनता है। इसके अतिरिक्ति वैवाहिक जीवन की अधूरी जानकारी तथा स्त्री को संतान न होना भी इसके प्रमुख कारण हैं।[4] आर.एम.सोनकेम्बल ने लिखा है कि य़द्यपि पतियों या सम्बन्धियों द्वारा क्रूरता से सम्बन्धित मामलों में आश्चर्यजनक वृद्धि हुई है। 2004 में यह आंकड़ा 94 पर था जो 2007 में बढकर 116 और 2008 में बढकर 139 पर पहुंच गया। इसके पीछे प्रमुख कारण एकल परिवारों की बढ़ती संख्या है।[5]

घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 –भारत में समय–समय पर गैर–सरकारी संगठनों की मांग रही है कि घरेलू हिंसा के सही आंकड़े सरकार को पेश करने चाहिएं और उचित शिक्षा नीति बनाकर जन–जागरूकता अभियान के माध्यम से घरेलू हिंसा को नियंत्रण में लाने के प्रयास करने चाहिए। इसी के दृष्टिगत भारत सरकार ने 2005 में घरेलू हिंसा अधिनियम का निर्माण किया जिसे 2006 से लागू कर दिया गया है। इसके अन्तर्गत महिलाओं को घरेलू हिंसा से सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्रभावशाली उपाय किये गए हैं। इस कानून की धारा 3 में घरेलू हिंसा को निम्न प्रकार से परिभाषित किया है– ऐसा कार्य या आचरण जो व्यथित महिला के स्वास्थ्य, जीवन, शरीर, मन, आदि को क्षतिग्रस्त करता है।[6] इस अधिनियम में महिला के साथ 5 प्रकार के दुर्व्यवहारों को स्पष्ट किया गया है–

- शारीरिक दुर्व्यवहार।

[4] पी.शोभा, 'डोमेस्टिक वॉयलेंस इन इंडिया', थर्ड कॉन्सेप्ट, वॉल्यूम 28, अप्रैल 2014, पृ0 24

[5] आर.एम.सोनकेम्बल, 'कम्बेटिंग डोमेस्टिक वॉयलेंस अगेंस्ट वुमेन इन इंडिया', थर्ड कॉन्सेप्ट, वॉल्यूम 27, जून 2013, पृ0 31.

[6] जी.एल.शर्मा, सामाजिक मुद्दे, रावत पब्लिकेशन्स, जयपुर, 2015.

- यौन दुर्व्यवहार।
- मौखिक दुर्व्यवहार।
- भावनात्मक दुर्व्यवहार।
- आर्थिक दुर्व्यवहार।

इस अधिनियम में घरेलू नातेदारी को धारा 2–एफ में परिभाषित करते हुए लिखा गया है कि संयुक्त परिवार में रह रहे व्यक्तियों के बीच समरक्त वैवाहिक सम्बन्ध, दत्तक नातेदारी या विवाह जैसे सम्बन्ध में रह रही महिला एवं संयुक्त परिवार के सदस्य घरेलू नातेदारी में शामिल होते हैं। इस तरह सहजीवन में रहने वाली महिलाओं को भी घरेलू हिंसा अधिनियम के दायरे में लाया गया है। धारा 2 में पीड़ित महिला को स्वयं, संरक्षण अधिकारी या पुलिस के माध्यम से शिकायत की सुविधा दी गई है जिसका निपटारा 60 दिनों में करना होता है। जब घरेलू हिंसा के मामले में केस की सुनवाई होती है तो यह बंद कमरे में की जाती है तथा महिला को न्याय दिलाने का हरसंभव प्रयास होता है। महिला को घरेलू हिंसा से पीड़ित होने की स्थिति में कानूनी सहायता, चिकित्सा सहायता एवं परामर्श करने का अधिकार प्राप्त है। यदि न्यायाधीश को प्रथम दृष्टया घरेलू हिंसा का मामला लगे तो वह संरक्षणादेश, निवास आदेश, मौद्रिक आदेश, संतानों की अभिरक्षा का आदेश, प्रतिकर आदेश तथा अंतरिम एवं एकपक्षीय आदेश जारी कर सकता है। यदि पत्नी के ससुराल पक्ष की तरफ से अंतरिम आदेशों का उल्लंघन होता है तो इसके लिए एक वर्ष तक की जेल तथा 20 हजार तक का जुर्माना किया जा सकता है तथा यह गैर–जमानत की श्रेणी में आता है। इस अधिनियम में निम्नलिखित प्रावधान हैं:–

- घरेलू हिंसा से पीड़ित महिला के लिए सुरक्षा अधिकारी उपलब्ध करवाना जो हिंसा से पीड़ित महिला की मदद कर सके, उसे सुरक्षित स्थान पर ले जा सके तथा

उसके स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए उसे कानूनी मदद दिला सके। दहेज उत्पीड़न के मामलों को भी इसके दायरे में लाया गया हैं।

- यह अधिनियम पीड़ित महिला को रहने के लिए मकान, संयुक्त सम्पति में हिस्सा, बैंक खाता खुलवाना आदि कार्य करके उसे हक दिलाने का एक कारगर प्रयास है।

प्रमुख विशेषताएं–

- यह पीड़ित महिला को त्वरित न्याय दिलवाता है।
- यह पीड़िता को कानूनी सुरक्षा का कवच प्रदान करता है।
- इसमें घरेलू हिंसा को व्यापक रूप में परिभाषित किया गया है।
- इसमें अपराध का दायरा बढाया गया है।
- यह पीड़िता को रहने के लिए आवास उपलब्ध करवाता है।
- यह सुरक्षा आदेश की अवेहलना पर दोषी व्यक्ति को सजा दिलवाता है।
- यह महिला को बच्चों के संरक्षण के अधिकार के साथ–साथ क्षतिपूर्ति पाने का हक भी प्रदान करता है।

सारांश– चूंकि घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के लागू होने से महिलाओं के विरूद्ध होने वाली घरेलू हिंसा पर कुछ अंकुश अवश्य लगा है, फिर भी घरेलू हिसा शब्द को पूर्ण रूप से परिभाषित करने की मांग बार–बार उठ रही है। समाज के बुद्धिजीवी वर्ग की मांग है कि इसके दुरूप्योग को रोकने के लिए इसे सिविल कानून का रूप दिया जाना चाहिए तथा झूठी शिकायत करने वाली महिला पर भी केस दर्ज होना चाहिए ताकि इसकी निष्पक्षता कायम रह सके। परन्तु आज आवश्यकता इस बात की है कि महिलाओं को

जागरूक किया जाये और उन्हें आर्थिक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के प्रयास किये जाऐं ताकि वे किसी भी प्रकार के पारिवारिक उत्पीड़न का मुकाबला करने में सक्षम हों।

सन्दर्भ सूची–

1. राम आहूजा, सामाजिक समस्याएं, रावत पब्लिकेशन्स, जयपुर, 2011
2. माला दीक्षित, ''कानून असरदार व्यवस्था बेकार'', दैनिक जागरण, पानीपत, 30 दिसम्बर 2012.
3. आर.एम.सोनकेम्बल, 'कम्बेटिंग डोमेस्टिक वॉयलेंस अगेंस्ट वुमेन इन इंडिया', थर्ड कॉन्सेप्ट, वॉल्यूम 27, जून 2013.
4. वुमेन्स लिंक, वॉल्यूम 20 (2), अप्रैल–जून 2014.
5. महेन्द्र कुमार मिश्रा, भारत का सामाजिक इतिहास, कल्पना प्रकाशन, दिल्ली, 2014.
6. वंदना सक्सेना, महिलाओं का संसार और अधिकार, मनीषा प्रकाशन, दिल्ली, 2004.
7. पी.शोभा, 'डोमेस्टिक वॉयलेंस इन इंडिया', थर्ड कॉन्सेप्ट, वॉल्यूम 28, अप्रैल 2014.
8. जी.एल.शर्मा, सामाजिक मुद्दे, रावत पब्लिकेशन्स, जयपुर, 2015.